फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

58/2024

नरेश बनाम रामधन

ज्ञा ही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4	प्रार्थी की और से वकील भगवान सहाय यादव में यह अतर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 07.05.2024 को पेश हो। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिमार्ण करने पर आमादा हैं। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम गिरधारीलालपुरा के खाता संख्या नया 162 पुराना 137 के खसरा नंबर 692, 693, 694, 695, 696, 697, 700, 702, 710, 711, 712, 713/2 कुल किता 12 कुल रकबा 3.38 है0 वाके ग्राम गिरधारीलालपुरा पटवार हल्का गिरधारीलालपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर का **राजस्व रिकार्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीयों की नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेवाकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 07.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू(जयपुर)	
3/5/24	पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ तलब की गई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी के कहे जाने व दावा विड्रो होने से प्रा. पत्र 212 RTA का खारिज किया जाता है। प्रा. पत्र 212 RTA का खारिज होने से न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 5/3/24 का प्रभावहीन हो गया है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)